न्यायालय–रिविजन प्राधिकार–सह–सचिव

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना

रिविजन वाद संख्या–वन मु०(री०)–02/2023

आनन्द प्रकाश नारायण @ आनन्द प्रकाश नारायण पाण्डेय, चन्दौली बनाम बिहार राज्य एवं अन्य

आदेश

यह रिविजनवाद आनन्द प्रकाश नारायण, पिता–स्व. सत्यनारायण पाण्डेय, ग्राम–अरजीकलान, थाना–चकिया, जिला–चंदौली (उत्तर प्रदेश) द्वारा जिला दण्डाधिकारी– सह–समाहर्त्ता, कैमूर, भभुआ के अपीलीय न्यायालय में दायर विविध (वन) अपील वाद सं0–02/2023 में दिनांक–31.03.2023 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है।

वाद का संक्षिप्त विवरण यह है कि दिनांक–27.01.2017 को मध्य रात्रि में विजय रजक, वनपाल, कल्याणीपुर गश्ती करते हुए दिवाने, थाना–चाँद के पास पहुँचे तो गुप्त सूचना मिली कि 5–6 व्यक्तियों द्वारा मड़रियाँ सुरक्षित वन पहाड़ से पत्थर तोड़कर ब्लू रंग के न्यू हॉलेण्ड ट्रैक्टर के ट्रॉली पर लोड किया जा रहा हैं। प्राप्त सूचना के आलोक में जैसे ही गश्ती दल मड़रियाँ सुरक्षित वन पहुँचा तो गश्ती दल को देखकर अभियुक्त भागने लगे जिनका पीछा करने के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के दौरान गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा बताया कि पत्थर चउका खनन कर उत्तर प्रदेश ले जाकर बेचने का काम करते है। तत्पश्चात पत्थर–चउका एवं लोड ट्रैक्टर की तलाशी ली गयी। तलाशी में किसी प्रकार के कोई वैद्य कागजात नहीं मिले। पत्थर चउका वन क्षेत्र का होने के कारण तथा इस से संबंधित किसी वैद्य कागजात के अभाव में घटना स्थल पर पत्थर चउका एवं ट्रॉली सहित ट्रैक्टर की जप्ती की कार्रवाई करते हुए गवाहों के समक्ष जप्ती सूची बनायी गयी तथा जप्त सामानों को सूरक्षार्थ चैनपुर स्थाई पौधशाला परिसर में लाकर रखा गया।

घटना के संबंध में श्री विजय रजक, वनपाल, कल्याणीपुर परिसर द्वारा जप्ती सूची के साथ भारतीय वन अधिनियम–1927 (बिहार वन संशोधन अधिनियम–1989) की धार–33, 41, 42 के उल्लंघन के जूर्म में अभियुक्तों के विरूद्ध माननीय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, कैमूर, भभुआ के न्यायालय में प्रारंभिक प्रतिवेदन समर्पित किया गया।

व्नपाल, श्री विजय रजक, कल्याणीपुर परिसर के अपराध प्रतिवेदन एवं जप्ती सूची के आधार पर प्राधिकृत पदाधिकारी–सह–वन प्रमंडल पदाधिकारी, कैमूर वन प्रमंडल, भभुआ के अधिहरण न्यायालय में अधिहरण वाद सं0–09/2017 दायर किया गया। उक्त वाद में प्राधिकृत पदाधिकारी–सह–वन प्रमंडल पदाधिकारी, कैमूर वन प्रंडल, भभुआ द्वारा दिनांक–07.12.2022 को आदेश पारित करते हुए न्यू हॉलैण्ड ट्रैक्टर निबंधन संख्या–UP-67F/4197 एवं ट्रॉली (बिना निबंधन का) पर लोड पत्थर–चउका, 70 घनफुट, माईक्रोमैक्स हैण्डसेट मोबाईल तथा बजाज प्लेटिना मोटरसाईकिल निबंधन संख्या–UP-67D/0815 (जप्ती सूची के अनुसार) को मड़रियाँ सुरक्षित वन पहाड़ से अवैध पत्थर खनन करने का अभियोग प्रमाणित होने पर भारतीय वन (बिहार संशोधन 1990) अधिनियम 1927 की धारा 52 (3) में निहित प्रावधानों के तहत सभी दायित्वों से मुक्त करते हुए बिहार सरकार के पक्ष में अधिहरित किया गया।

रिविजनकर्त्ता द्वारा अधिहरण न्यायालय द्वारा दिनांक–07.12.2022 को पारित आदेश के विरूद्ध जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्त्ता, कैमूर, भभुआ के अपीलीय न्यायालय में विविध (वन) अपील वाद सं0–02/2023ः आनन्द प्रकाश नारायण बनाम सरकार दायर किया गया। इस अपीलवाद में दिनांक–31.03.2023 को जिला दंडाधिकारी–सह–समहर्त्ता, कैमूर, भभुआ द्वारा आदेश पारित करते हुए अपीलवाद को अस्वीकृत कर दिया गया।

रिविजनकर्त्ता द्वारा समाहर्त्ता, कैमूर, भभुआ के अपीलीय न्यायालय द्वारा दिनांक–31.03.2023 को पारित आदेश के विरूद्ध सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना के रिविजन न्यायालय में यह रिविजन याचिका दायर की गई जिसके आधार पर रिविजन वाद सं0–02/2023ः आनन्द प्रकाश नारायण बनाम बिहार राज्य एवं अन्य की कार्यवाही प्रारंभ की गयी।

रिविजनकर्त्ता द्वारा दायर रिविजन याचिका, अपीलीय प्राधिकार–सह–जिला दंडाधिकारी, कैमूर, भभुआ के न्यायालय द्वारा विविध (वन) अपील वाद सं0–02/2023 में दिनांक–31.03.2023 को पारित आदेश, प्राधिकृत पदाधिकारी–सह–वन प्रमंडल पदाधिकारी, औरंगाबाद के अधिहरण न्यायालय के द्वारा अधिहरण वाद सं0–09/2017 में दिनांक–07.12.2022 को पारित आदेश, प्रतिवादी द्वारा दायर लिखित प्रतिउत्तर, उभय पक्षों द्वारा दायर कागजात एवं उनके बहस से निम्नांकित बिन्दु स्पष्ट होते हैंः–

1. मामला में जप्ती, अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण एक ही पदाधिकारी, वनपाल, कल्याणीपुर वन परिसर द्वारा किया गया है।

2. जाँच के दौरान प्रतिपक्षियों को प्रेषित नोटिस उन्हें मिला या नहीं इसे सम्पुष्ट करने हेतु साक्ष्य नहीं दिये गये है।

3. रिविजनकर्त्ता के इस दावे की कि पत्थर चउका आर्यन इन्टरप्राजेज, चंदौली, उत्तर प्रदेश से क्रय किया गया है तथा Sale Invoice भी उसी दुकान की है की समुचित जाँच नहीं की गयी है।

4. जप्त पत्थर चउका और मड़रियाँ सुरक्षित वन क्षेत्र में उपलब्ध पत्थर की संरचना एक ही है, इसकी पुष्टि खान एवं भूतत्व विभाग से करायी जानी चाहिए थी, जो नहीं करायी गयी है।

वर्णित तथ्यों एवं परिस्थिति में मामले की गहराई से जाँच एवं सुनवाई हेतु जिला दण्डाधिकारी–सह–समाहर्त्ता कैमूर, भभुआ के न्यायालय को वापस किया जाता है।

सभी संबंधितों को सूचित किया जाय।

ह0/–
03.04.2025
(बन्दना प्रेयषी)
सचिव–सह–रिविजनल प्राधिकार

लेखापीत एवं संशोधित
ह0/–
(बन्दना प्रेयषी)

ज्ञापांकः वन मु0(री0)–02/2023................/प०व०ज०प० पटना–15 दिनांक–................

प्रतिलिपि– आनन्द प्रकाश नारायण@आनंद प्रकाश नारायण पाण्डेय, पिता–स्व. सत्यनारायण पाण्डेय, ग्राम–अरजीकलान, थाना–चकिया, जिला–चंदौली (उत्तर प्रदेश) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(मोख्तारूल हक)
परामर्शी

ज्ञापांकः वन मु0(री0)–02/2023................/प०व०ज०प० पटना–15 दिनांक–................

प्रतिलिपि– जिला दण्डाधिकारी, कैमूर (भभुआ)/वन प्रमंडल पदाधिकारी, कैमूर वन प्रमंडल, भभुआ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(मोख्तारूल हक)
परामर्शी

ज्ञापांकः वन मु0(री0)–02/2023 1636 /प०व०ज०प० पटना–15 दिनांक– 8/4/25

प्रतिलिपि– विभागीय आई.टी. मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

7/4/25
(मोख्तारूल हक)
परामर्शी